राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने पीजी कॉलेज में बेंच का किया आयोजन

700 से अधिक शिकायतों को सुनकर दिए निर्देश, 100 प्रकरणों में आदेश जारी किए गए

खरगोन निप्र। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने खरगोन के पीजी कॉलेज ऑडोटोरियम में बेंच का आयोजन किया। बेंच के माध्यम से 700 से अधिक शिकायतों को सुना और तत्काल सम्बंधित विभाग के संज्ञान में लाकर मौके पर उनका निराकरण करने निर्देश दिए। बेंच के दौरान करीब 100 प्रकरणों में आदेश जारी किए गए। बाकी प्रकरणों को दिल्ली ले जाया गया।

एनसीपीसीआर अध्यक्ष श्री कानूनगो ने मीडिया से कहा कि देश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और उनकी शिकायतें सुनने तथा उनके निराकरण करने के लिए शीर्ष निकाय है। अभी राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग ने तय किया है कि राज्यों के बाल आयोग से मिलकर देश के 75 जिलों में जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी 20 प्रतिशत से अधिक है, वहा बेंच लगाएंगे। जहां उनकी शिकायतों को सुनकर उनके निराकरण पर सार्थक कार्य किया जाएगा। उन्हीं में से एक बेंच खरगोन में आयोजित की गई। यह बेंच अमृत महोत्सव के तहत आयोजित की गई है। बेंच के दौरान राज्य बाल अधिकार आयोग के सदस्य द्रविन्द्र मोरे, राकेश प्रजापति, अपर कलेक्टर जेएस बघेल, एएसपी मनीष खत्री, एसडीएम मिलिंद ढोके, एसडीओपी राकेश मोहन शुक्ल, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती रजा शर्मा सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

निराकरण होने पर ही शिकायतें क्लोज होगी

मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए श्री कानूनगो ने कहा कि एक-एक शिकायतों का जब तक निराकरण नहीं होगा, तब तक कोई भी शिकायत बंद नही होगी। बेंच के लिए जिन शिकायतों या आवेदनों का पंजीयन हुआ है, सभी शिकायतें दिल्ली जाएगी। इन शिकायतों पर संज्ञान लेकर सम्बंधित विभागों से लगातार अपडेट ली जाएगी। स्थानीय प्रशासन द्वारा निराकरण करने के बाद ही शिकायतें क्लोज होगी। जिन बच्चों से हम मिले है, या नहीं मिले है, लेकिन उनके आवेदनों का निराकरण किया जाएगा।

अध्यक्ष ने निमाड़ी व्यंजनों की जाननी चाही रेसिपी

राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग अध्यक्ष श्री कानूनगो का महाविद्यालय में आदिवासी नृत्य के साथ स्वागत किया गया। अध्यक्ष श्री कानूनगो ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। बेंच स्थल पर ही महिला बाल विकास विभाग की कार्यकताओं द्वारा सजाई गई फूड स्टॉल का भी निरीक्षण कर रेसिपी भी जानी।

यहां कार्यकताओं द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के स्टॉल लगाए है। अध्यक्ष श्री कानूनगो ने कार्यकताओं से व्यंजनों की रेसिपी के छोटे-छोटे चीडियो बनाने बनाकर लोगों तक निमाड़ी व्यंजनों का प्रसार करने का आव्हान किया।

हिमेन ज्वूमा से पीड़ित बालक के उपचार के लिए जोधपुर एम्स में अध्यक्ष से सलाह ली

बेंच के दौरान आयोग अध्यक्ष के समक्ष दामखेड़ा के 2 वर्षीय बालक के पिता ईश्वर पंवार ने अपने बच्चे की बिमारी के संबंध में अवगत कराया। उनके पुत्र गमजीत हिमेन ज्वूमा बीमारी से पीड़ित है। जिसमें बच्चें की जबान होंठो से काफी बाहर निकल आयी है। बच्चें की हालत देखते हुए अध्यक्ष श्री कानूनगो ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जोधपुर में विशेषज्ञ डॉ. एके सिंह से उपचार के सम्बंध में चर्चा की। अध्यक्ष श्री कानूनगो ने डॉक्टर से कहा कि देश में कही भी इस बीमारी का उपचार है, तो जानकारी निकाले। वहां उनके इलाज के प्रयास किए जाएंगे।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के शिविर में बच्चों ने सुनाई व्यथा, अध्यक्ष बोले- दगाबाजी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे

कोरोना ने छीना माता-पिता का साया, जिनके भरोसे बच्चे, उन्होंने ही छीने अधिकार, पिता का कर्ज, बैंक ने बच्चों से की वसूली

पत्रिका
ह्यूमन एंगल

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

खरगोन. बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और उनकी शिकायतें सुनने, उनका समाधान करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग ने शुक्रवार को पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में बेंच लगाई। इसमें वह बच्चे भी पहुंचे जिनके सिर से कोरोना महामारी में माता-पिता का साया उठ गया। नौनिहालों ने आयोग के सामने जो समस्याएं रखी वह मानवता को तार-तार करने वाली रही। किसी ने कहा- माता-पिता के गुजरने के बाद रिश्तेदार प्रताड़ित कर रहे हैं। किसी ने बच्चों के हक का मकान बेच दिया तो कहीं पिता के कर्ज की वसूली के लिए बैंक ने बच्चों पर इतना दबाव बनाया कि उन्हें

बच्चों की जुड़ी समस्या सुनते आयोग अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो व टीम।

बाजार से रुपए उधार लेकर बैंक कर्ज चुकाना पड़ा है। बच्चों की पीड़ा सुनकर आयोग अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो व टीम भी दंग रह गई। उन्होंने कहा- खून के रिश्तों में जमीर बिक चुका है। जिन लोगों ने बच्चों के हक को मारा है उन्हीं छोड़ा नहीं जाएगा।

बेंच में आयोग अध्यक्ष कानूनगो ने बच्चों से समस्याएं सुनी और निराकरण का भरोसा दिया। इसमें 700 से अधिक शिकायतें मिली। इसमें 87 शिकायतों को त्वरित निराकरण किया। आयोग के सामने जन्म प्रमाण-पत्र, पेंशन, दिव्यांग सर्टिफिकेट, पाक्सो एक्ट, मुआवजा जैसी शिकायतें की गई। कुछ बच्चों के माता-पिता नहीं होने की वजह से उनके लालन.पालन की समस्या सामने थी, उन्हें बाल गृह भेजने का निर्देश दिया। पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों में तत्काल आयोग ने एफआईआर का आदेश दिए। आयोग ने बताया सारी शिकायतें निराकरण होने तक प्रकरण बंद नहीं होगा। आयोग यह सभी प्रकरण दिल्ली लेकर जाएगा।

इसके निराकरण के लिए संबंधित विभागों से नियमित संपर्क किया जाएगा। बेंच के दौरान राज्य बाल अधिकार आयोग के सदस्य द्रविन्द्र मोरे, राकेश प्रजापति, अपर कलेक्टर जेएस बघेल, एएसपी मनीष खत्री, एसडीएम मिलिंद ढोके, एसडीओपी राकेश गुप्ता, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी रत्ना शर्मा और सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

वह मामले जो मानवता पर करते हैं प्रहार

बैंक का फर्जीवाड़ा बच्चों के लिए बना मुसीबत

आयोग अध्यक्ष कानूनगो ने बताया गोगावां की एक बालिका ने शिकायत दर्ज कराई है। उनके पिता ने गोल्ड लोन ले रखा था। कोरोना से माता-पिता के निधन बाद बैंक ऑफ इंडिया ने यह ऋण दादी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जो नियम विरुद्ध है। बैंक यहां नहीं रुका। 5 लाख रुपए भरने के लिए लगातार दबाव बनाया और कहा रुपए जमा कर दो, दूसरे दिन वापस मिल जाएंगे। इस मामले में आयोग ने बैंक की लापरवाही को संज्ञान में लिया है। अध्यक्ष का कहना है कि यह अमानत में खयानत का मामला है। इस तरह माता-पिता का गोल्ड बच्चों के अलावा किसी अन्य रिश्तेदार के नाम नहीं कर सकते। बैंक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

जिसके भरोसे बच्चे, उस चाचा ने ही बेच दिया पैतृक मकान

आयोग अध्यक्ष ने बताया एक मामले में माता-पिता के निधन के बाद बच्चों की परवरिश का जिम्मा चाचा ने लिया। लेकिन उसने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पैतृक मकान बेच दिया है। इसकी शिकायत मिली है। सिर से माता-पिता का साया उठने व फिर मकान बेचने के बाद बच्चे अपने नाना के यहां रह रहे हैं। आयोग इस मामले में संज्ञान ले रहा है। रजिस्ट्री निरस्त कराने की कार्रवाई करेंगे।

दो साल के बच्चे की जबान मुंह से बाहर

बेंच में दामखेड़ा का ईश्वर पंवार दो वर्षीय बेटे यमजीत को लेकर पहुंचा। वह हिमेन ज्युमा बीमारी से पीड़ित था। बच्चे की जबान होंठों से बाहर निकल आई है। बच्चे की हालत देखते हुए अध्यक्ष ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जोधपुर में विशेषज्ञ डॉ. एके सिंह से चर्चा की। डॉक्टर से कहा कि देश में कहीं भी इस बीमारी का उपचार है तो जानकारी निकाले। वहां उनका इलाज के प्रयास किए जाएंगे। अमन नगर की की एक महिला अपनी तीन बच्चियों के साथ पहुंची। बड़ी लड़की की उम्र 11 साल है। जो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार है। इसलिए शरीर का विकास नहीं हुआ। पिछले चार सालों से पेंशन के लिए परिवार भटक रहा है। कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आयोग ने संज्ञान लेकर नपा को बच्ची का आधार कार्ड सुधार करने सहित पेंशन चालू करने के निर्देष दिए।

बेंच के लिए पंजीकृत सभी प्रकरणों पर संज्ञान लिया जाएगा : कानूनगो

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने बेंच में सुनी बच्चों से संबंधित शिकायतें

खरगोन। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने खरगोन में स्थानीय महाविद्यालय के आडिटोरियम में बेंच का आयोजन किया। उन्होंने 700 से अधिक शिकायतों को सुना और तत्काल संबंधित विभाग के संज्ञान में लाकर मौके पर उनका निराकरण करने निर्देश दिए। इस दौरान करीब 100 प्रकरणों में आदेश जारी किए गए। शेष प्रकरणों को दिल्ली ले जाया गया।

एनसीपीसीआर अध्यक्ष कानूनगो ने कहा कि देश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और उनकी शिकायतें सुनने तथा उनके निराकरण करने के लिए शीर्ष निकाय है।

अभी राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग ने तय किया है कि राज्यों के बाल आयोग से मिलकर देश के 75 जिलों में जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी 20 प्रतिशत से अधिक है, वहां बेंच लगाएंगे। जहां उनकी शिकायतों को सुनकर उनके निराकरण पर सार्थक कार्य किया जाएगा। उन्हीं में से एक बेंच खरगोन में आयोजित की गई। यह बेंच अमृत महोत्सव के तहत आयोजित की गई है। बेंच के दौरान राज्य बाल अधिकार आयोग के सदस्य द्रविन्द्र मोरे, राकेश प्रजापति, अपर कलेक्टर श्री जेएस बघेल, एएसपी मनीष खत्री, एसडीएम मिलिंद ढोके, एसडीओपी राकेश गुप्ता, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी रत्ना शर्मा और सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कूटरचित दस्तावेजों से चाचा ने बेच दिया मकान, बाल संरक्षण आयोग ने कहा- रजिस्ट्री कराएंगे शून्य

भास्कर संवाददाता | खरगोन

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच शुक्रवार को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में लगी। यहां करीब 500 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई गई। आयोग अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बच्चों से उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान कई चौंकाने वाले मामले भी सामने आए, जिसमें त्रासदी में अपने माता या पिता को खोने वाले बच्चों को रिश्तेदारों या बैंककर्मियों से प्रताड़ित होना पड़ रहा है। शिविर के दौरान गोगावां में माता-पिता की मौत के बाद बैंक की जालसाजी का मामला सामने आया। माता-पिता दोनों की मौत होने के बाद बैंक ने गोल्ड लोन को बिना किसी की सहमति के मृतक की मां के नाम कर दिया और झूठे आश्वासन देकर एनपीए की राशि 5 लाख रुपए भी जमा करवा लिए जबकि यह नियम विरुद्ध है। यह गोल्ड बच्चों को मिलना चाहिए था। आयोग ने बैंक पर अमानत में खयानत का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह एक अन्य मामले में कोविड में माता-पिता की मौत के बाद मृतक के भाई ने बड़वानी में पारिवारिक मकान कुटरचित दस्तावेजों से बेच दिया। आयोग ने बच्चों को भरोसा दिया कि उक्त मामले में कार्रवाई कर रजिस्ट्री शून्य (निरस्त) कराई जाएगी।

स्टॉल पर पहुंचकर आयोग अध्यक्ष ने निमाड़ी व्यंजनों का स्वाद भी लिया।

अध्यक्ष ने निमाड़ी व्यंजनों की रेसिपी जाननी चाही

राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग अध्यक्ष व अतिथियों का महाविद्यालय में आदिवासी नृत्य से स्वागत किया गया। इसके बाद अध्यक्ष विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन कर प्रभारियों से रूबरू हुए। बेंच स्थल पर ही महिला बाल विकास विभाग की कार्यकर्ताओं द्वारा सजाई गई फूड स्टॉल का भी निरीक्षण कर रेसिपी भी जानी। अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से व्यंजनों की रेसिपी के छोटे-छोटे वीडियो बनाकर लोगों तक निमाड़ी व्यंजनों का प्रसार करने का आव्हान किया।

बेंच के लिए पंजीकृत हुए सभी प्रकरणों पर संज्ञान लिया जाएगा : एनसीपीसीआर अध्यक्ष कानूनगो

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने बेंच में सुनी बच्चों से सम्बंधित शिकायतें

जब तक नहीं होगा शिकायतों का निराकरण तब तक बंद नहीं होगी शिकायतें

खरगोन ■ राज न्यूज नेटवर्क

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियंक कानूनगो ने खरगोन में स्थानीय महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में बेंच का आयोजन किया। बेंच के माध्यम से उन्होंने 700 से अधिक शिकायतों को सुना और तत्काल सम्बंधित विभाग के संज्ञान में लाकर मौके पर उनका निराकरण करने निर्देश दिए। बेंच के दौरान करीब 100 प्रकरणों में आदेश जारी किए गए। बाकि प्रकरणों को दिल्ली ले जाया गया। एनसीपीसीआर अध्यक्ष श्री कानूनगो ने मीडिया से कहा कि देश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और उनकी शिकायतें सुनने तथा उनके निराकरण करने के लिए शीर्ष निकाय है। अभी राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग ने तय किया है कि राज्यों के बाल आयोग से मिलकर देश के 75 जिलों में जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी 20 प्रतिशत से अधिक है वहां बेंच लगाएंगे। जहां उनकी शिकायतों को सुनकर उनके निराकरण पर सार्थक कार्य किया जाएगा। उन्हीं में से एक बेंच खरगोन में आयोजित की गई। यह बेंच अमृत महोत्सव के तहत आयोजित की गई है। बेंच के दौरान राज्य बाल अधिकार आयोग के सदस्य श्री द्रविन्द मोरे राकेश प्रजापति अपर कलेक्टर श्री जेएस बघेल एएसपी श्री मनीष खत्री एसडीएम श्री मिलिंद ढोके एसडीओपी श्री राकेश गुप्ता महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी श्रीमति रता शर्मा और सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

निराकरण होने पर ही शिकायतें क्लोज होंगी

मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए एनसीपीसीआर श्री कानूनगो ने कहा कि एक एक शिकायतों का जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक कोई भी शिकायत बन्द नहीं होगी। बेंच के लिए जिन शिकायतों या आवेदनों का पंजीयन हुआ है। सभी शिकायतें दिल्ली जाएगी और उन पर संज्ञान लेकर सम्बंधित विभागों से लगातार अपडेट स्थिति के बारे में जानकारी ली जाएगी। स्थानीय प्रशासन द्वारा निराकरण करने के बाद ही शिकायतें क्लोज होंगी। जिन बच्चों से हम मिले है या नहीं लेकिन उनके आवेदनों का निराकरण किया जाएगा।

अध्यक्ष ने निमाड़ी व्यंजनों की रेसिपि जाननी चाही

राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री कानूनगो का बेंच स्थल महाविद्यालय में जिले की आदिवासी झलक दिखाते दल ने स्वागत नृत्य के साथ स्वागत किया। इसके बाद अध्यक्ष श्री कानूनगो ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन कर प्रभारियों से रूबरू हुए। बेंच स्थल पर ही महिला बाल विकास विभाग की कार्यकर्ताओं द्वारा सजाई गई ट्रेड स्टॉल का भी निरीक्षण कर रेसिपी भी जानी। यहां कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के स्टॉल लगाए है। अध्यक्ष श्री कानूनगो ने कार्यकर्ताओं से व्यंजनों की रेसिपी के छोटे- छोटे वीडियो बनाने बनाकर लोगों तक निमाड़ी व्यंजनों का प्रसार करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि निमाड़ी पोष्टिक व्यंजनों के बारे में बहुत कम लोग जानते है। कोशिश करे वीडियो बनाकर लोगों तक व्यंजनों की पहुँच बनाये। साथ ही ऐसी स्टॉल लगाने पर उनकी रेसिपी भी डिस्प्ले करें।

हिमेन ज्युमा से पीड़ित बालक के उपचार के लिए जोधपुर एम्स में अध्यक्ष ने सलाह ली

बेंच के दौरान आयोग के अध्यक्ष के समक्ष दामखेड़ा के 2 वर्षीय बालक के पिता ईश्वर पवार ने अपने बच्चे की बीमारी के सबंध में अवगत कराया। उनके पुत्र यमजीत हिमेन ज्युमा बीमारी से पीड़ित है। जिसमें बच्चे की जबान होठो से काफी बाहर निकल आयी है। बच्चे की हालत देखते हुए अध्यक्ष श्री कानूनगो ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जोधपुर में विशेषज्ञ डॉ. एके सिंह से उपचार के सम्बंध में चर्चा की। अध्यक्ष श्री कानूनगो ने डॉक्टर से कहा कि देश में कही भी इस बीमारी का उपचार है तो जानकारी निकाले। वहां उनका इलाज के प्रयास किये जायेंगे। यमजीत के पिता ईश्वर ने बताया कि यमजीत का उपचार अरबिंदो अस्पताल में किया गया मगर लाभ नहीं हो पाया है।